THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) During the last three years, the Central Government have accorded approval of diversion of forest lands in 39 proposals.

(b) As per stipulated conditions, compensatory afforestaton is required to be done over 5982.45 hecaters in respect of these approved projects. No compensatory afforestation has been done by the State Government in respect of these projects till 1990 rains Compensatory afforestation has been done over 2059 hecatres during 1991 rains in respect of proposals approved under the Forest (Conservation) Act, 1980 since 25.10.1980. Project-wise details of the same have not been received from the State Government.

(c) The recorded forest area in Orissa is 59,555 sq. kms.

राजस्थान में सरिस्का आरक्षित वन

2823. श्री शारदा महन्ती :

श्री सोमपाल :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि राजस्थान में सरिस्का आरक्षित वन लगभग 800 वर्ग कि०मी० क्षेत्र में फैला हुआ है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसमें केवल एक दर्जन के लगभग बाघ रहते हैं और हाल ही के वर्षों में बाघों की संख्या में कमी हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : जी, हां ।

(ख) जी, नहीं

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र से गुजरने वाली नई सड़कों का निर्माण

2824. **श्री बेकल "उत्साही"** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में वन क्षेत्रों से गुजरने वाली नई सड़कों के निर्माण कार्य में वन विभाग द्वारा भूमि का हस्तांतरण नहीं होने से बाधायें आ रहीं हैं ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार वन विभाग को इस बात की अनुमति देने का विचार रखती है कि वह स्वीकृति प्राप्त सभी सड़कों के लिये अपेक्षित भूमि राज्य सरकार के स्तर पर ही मध्य प्रदेश सरकार को स्थानांतरित करें ताकि राज्य में सड़कों के निर्माण से संबंधित कार्य को गति प्रदान की जा सके ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस समस्या के समाधान के लिये कोई नीति तैयार की जा रही है यदि नहीं तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) सड़कों के निर्माण के लिये वन (सरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि को प्रयोग में लाने के संबंध में केवल दो प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास लंबित हैं ।